

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 102/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुकरा प्रधान

- विक्रेता

कौशल नायक

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित																
19.07.18	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक सुकरा प्रधान पिता स्व० हरिहर प्रधान ग्राम तोरपा रोड खूँटी टोली खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने कौशल नायक पिता स्व० रामदयाल नायक ग्राम महादेव टोली खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="316 672 1404 871"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">खूँटी टोली</td> <td rowspan="4">80</td> <td rowspan="4">20</td> <td>67</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>0.07</td> </tr> <tr> <td>791</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.27</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0317402730 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 623 दिनांक 16.07.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम जमन प्रधान वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार कोका प्रधान वगैरह के नाम भूमि का रकवा 25.64 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 3.20 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 59895.00(ऊनसठ हजार आठ सौ पन्चानबे)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.93 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता - विक्रेता को भूमि क्रय - वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सुकरा प्रधान पिता स्व० हरिहर प्रधान को कौशल नायक पिता स्व० रामदयाल नायक के साथ ग्राम खूँटीटोली के खाता सं० 20 खेसरा संख्या 67, 72, 791 का कुल रकबा 0.27 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 59895.00(ऊनसठ हजार आठ सौ पन्चानबे)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	खूँटी टोली	80	20	67	0.10	72	0.07	791	0.10		0.27	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)														
खूँटी टोली	80	20	67	0.10														
			72	0.07														
			791	0.10														
				0.27														
लेखापित एवं संशोधित	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>																